शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा "26 नवम्बर 2020" को

71वां संविधान दिवस मनाया गया

भारत ने 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान अपनाया और यह दिनांक 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ । 19 नवंबर, 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय द्वारा की संविधान मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने के लिए अधिसूचित किया । संविधान दिवस को पहली बार 2015 में भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीम राव अबेंडकर की श्रद्धांजलि के रूप में मनाया गया था, जिन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूप को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। संविधान 25 भागों, 448 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में बंटा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है |

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी) जोधपुर में संविधान दिवस के अवसर पर आफरी निदेशक एम.आर. बालोच, भा.व.से. के नेतृत्व में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संविधान दिवस मनाया। इस अवसर पर संविधान की उद्देशिका का वाचन अपने-अपने प्रभागों में कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किया गया। इस अवसर पर बालोच ने संविधान के तहत प्रदत अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने एवं देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सभी लोगों से मिल-जुल कर कार्य करने का आव्हान किया। उल्लेखनीय है कि 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान को अगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक द्वारा निदेशक कार्यालय, सेमीनार कक्ष एवं कांफ्रेन्स कक्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी एवं संविधान रचियता डॉ. भीम राव अबेंडकर के छायाचित्रों का अनावरण किया गया ।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी एवं संविधान रचियता डॉ. भीम राव अंबेडकर के छायाचित्रों का अनावरण

संविधान दिवस 2020

निदेशक कार्यालय

सुविधा एव सेवायें प्रभाग

वन संवर्धन एव प्रबंधन प्रभाग

लेखा अनुभाग

विस्तार प्रभाग